an>

Title: Regarding land ownership rights in Andaman & Nicobar Islands.

श्री विÂष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की जमीन का कानून ब्रिटिश जमाने से चल रहा है। वÂर्ष 1926 में ब्रिटिश हुकूमत के समय में पीनल-सैटलमेंट में जिन लोगों को अखंड भारत से सजा काटने के लिए काला पानी भेजा गया था। वे लोग सजा के पश्चात् मुख्य भूमि भारत में न भाग जाएं और वे वहीं, यानी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में ही रहकर खेतीबाड़ी करें और ब्रिटिश हुकूमत को खाना खिलाएं। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उनके लिए एक कानून बनाया। उस काले कानून का नाम " अंडमान निकोबार लैंड टैन्योर रैगुलेशन, 1926" था। उसके बाद देश आजाद हुआ और आजाद देश में वÂर्ष 1966 में नया कानून बनाया गया, जिसका नाम "अंडमान-निकोबार लैंड रैगुलेशन लैंड रिफॉर्म, 1966" रखा गया। उस कानून में क्या किया गया, अंडमान में सैटलमेंट में जो लोग आए थे, वे अंडमान को छोड़कर भाग न जाएं, इसलिए उन्हें टैनेंट बनाया गया, यानी वे भारत सरकार के गुलाम बनाए गए थे। मैं आपके सामने इस कानून को चेंज करने का निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, लोग कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ रैवेन्यू के पास जाओ, जमीन के मालिक लोगों को वहां हाथ जोड़ कर, खड़ा करो और बोलो कि हमें सेल करने की परमीशन दो। वे बोलेंगे कि सेल करने की परमीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आप अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के टैनेंट हैं। इसलिए मेरी मांग है कि देश आजाद है और मोदी जी की सरकार आई है। उनके घर के सामने एक बोर्ड पर लिखा है कि ईश्वर आपने मुझे जन्म दिया, इसलिए मुझे काम करने दो और जो काम कल करने का है, उसे आज ही पूरा कर दो। इसलिए मैं गृह मंत्रालय से मांग करता हूं कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का जो काला कानून बनाया गया है, उसे चेंज कर के नया कानून बनाएं। हम टेनेंट नहीं हैं। हमें ओनरशिप चाहिए। भारत माता की जय।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सांसद श्री विष्णु पद राय द्वारा सदन में उठाए गए विÂषय से

सर्वश्री शरद त्रिपाठी,

चन्द्र प्रकाश जोशी,

रोड़मल नागर,

सुधीर गुप्ता,

आलोक संजर एवं

कंवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

श्री सुशील कुमार सिंह -- उपस्थित नहीं।